

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दावा संख्या 04/23

दायरा दिनांक 24.01.2023

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रामकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति काछी निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
वादी

बनाम

- 1-अधिशायी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहाबाद जिला बारां
- 2-स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां
- 3-गणेश उर्फ भदई पुत्र गोरधन जाति काछी निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला
प्रतिवादीगण
बारां राज0

वादपत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक- 15.07.2025

उपस्थित -

वादी की ओर से - श्री कुबेर यादव एडवोकेट


प्रतिवादीगण की ओर से - एकपक्षीय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चन्दनहेडा पटवार हल्का बालदा तहसील शाहाबाद में खाता संख्या नया 28 पुराना 28 के ख0नं0 188 की 1.07 बीघा कृषि भूमि वादी प्रतिवादीकम 3 हटिया पत्नि गजनलाल की सहखातेदारी में दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073-76 में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादीकम 3 का हिस्सा 1/3, हटिया का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। खातेदार हटिया फोट हो चुकी है जो वादी के भाई की पत्नि व प्रतिवादीकम 3 की ताई थी, जिसके कोई सन्तान प्रथम श्रेणी वारिस नहीं होने से वादी व प्रतिवादीकम 3 ही वारिस व उत्तराधिकारी होकर स्वतः ही 1/2-1/2 हिस्से से खातेदार हो चुके हैं। उक्त वर्णित भूमि पारिवारिक बटबारे में वादी के हिस्से में आई है वादी वहेसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। वादी के अलावा प्रतिवादीकम 1 या अन्य का कोई अधिकार उक्त भूमि में नहीं है। सहखातेदार प्रतिवादीकम 3 ने साथ आकर कार्यवाही से इनकार कर दिया, इस कारण उसे प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादीकम 1 चन्दनहेडा से पीपलखेडी होकर जाने वाली सिंगल सडक को चौड़ा कर रहे हैं और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना भूमि को अवाप्त किये अतिचार कर पक्की सडक बना रहे हैं, जबकि उक्त भूमि वादी के जीविकोपार्जन का साधन है। दिनांक 26.12.2022 को प्रतिवादीकम 1 ने खुद को सरकार का अंग बताकर सडक निर्माण की धमकी दी है। इस कारण वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम चन्दनहेडा संवत् 2073-76 में विवादित भूमि ख0नं0 188 रकबा 1.07 बीघा वादी, प्रतिवादीकम 3 तथा हटिया पत्नि स्व. गजनलाल के नाम दर्ज है जिस

15/07/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

पर खातेदारान का कब्जा काश्त है, जिसमें बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादीकम 1 को सडक निर्माण करने का कोई हक अथवा अधिकार नहीं है।
अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विवादित आराजी ख0नं0 188 रकबा 1.07 बीघा ग्राम चन्दनहेडा तहसील शाहाबाद में कोई सडक निर्माण नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिकी जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


15/07/2025
समाखण्ड अतिथिरी
शाहाबाद

डिकी मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद

वइजलास - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रामकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति काछी निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

वादी

बनाम

1-अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहाबाद जिला बारां

2-स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां

3-गणेश उर्फ भदई पुत्र गोरधन जाति काछी निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वादपत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

दावा संख्या 4/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू.....
व हाजरी.....मिनजामिन मुददई रुबरू.....
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विवादित आराजी ख0नं0 188 रकबा 1.07 बीघा ग्राम चन्दनहेडा तहसील शाहाबाद में कोई सडक निर्माण नहीं करें। निजमुबलिग.....बावत.
खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकको अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.07.2025 को जारी की गई।

15/07/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुददई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना बकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर
फीस कमीशनर			बवत इजराय हुकमनामा
बवत इजराय हुकमनामा			मुतफरीक मीजान
मुतफरीक			

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखया गया हो या नहीं/दर्ज करना चाहिये।

15/07/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद